प्रपत्र–3

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या–789 / 2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में महासू देवता थैना तक लिंक तक मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।कि0मी0 1 से 1.775 तक

भाग–2

(संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति :– कालसी में ग्राम महासू देवता थैना तक लिंक समपर्क मोटर मार्ग

i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र :– उत्तराखण्ड

(ii) जिला 3028 व.कि.मी :– देहरादून

(iii) जिला वन प्रभाग 2116.91 व.कि.मी :– चकराता वन प्रभाग चकराता

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र :– **0.346है0**

8. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति: :–

9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा :–

(i) वन का प्रकार मिश्रित :–

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व 0.2 :–

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना :– निरंक है।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा :–

10. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण :–

11. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : :– 5 किमी लगभग

12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : :–

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : :–

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए ज़ाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) :– हाथी कोरीडोर क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :– नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) :– नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे :–

13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) :–

14. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : :–

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लि :–

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश कि :–

15. **किए गए अतिकमण के ब्यौरे** : :–

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं) :–

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लि :– नहीं

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं) :–

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं) :–

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां / नहीं)। :– संलग्न है

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : संलग्न है [illegible] 89960200

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां / नहीं)। :–

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। :–

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें :– उक्त मार्ग निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों को यातायात सुविधा एवं उनकी कृषि उपज को स्थानीय मण्डी तक आवागमन हेतु उक्त मार्ग निर्माण की संस्तुति की जाती है, तथा मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों में [illegible] वृक्षारोपण किया जायेगा,

दिनाँक 9-2-2015

हस्ताक्षर

स्थान चकराता

नाम (डा. [illegible] सिंह)

सरकारी मोहर [illegible] वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता (देहरादून)

उप-[illegible] चकराता [illegible] भाग कालसी